

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में अनुवर्ती कार्यक्रम स्कीम के अन्तर्गत उपदान हेतु आवेदन-पत्र

- | | | |
|-----|--|----|
| 1. | आवेदक का नाम (पूरे अक्षरों में) | .. |
| 2. | पिता का नाम | .. |
| 3. | पता | .. |
| 4. | आयु | .. |
| 5. | वर्तमान व्यवसाय | .. |
| 6. | समस्त साधनों से वार्षिक आय तथा आय के साधन | .. |
| 7. | जाति | .. |
| 8. | उपदान का प्रयोजन | .. |
| 9. | शैक्षणिक योग्यता | .. |
| 10. | केन्द्र/संस्थान जहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है | .. |
| 11. | प्रशिक्षण वर्ष | .. |
| 12. | प्रशिक्षण की अवधि | .. |
| 13. | व्यवसाय जिसमें प्रशिक्षित है | .. |
| 14. | यदि अप्रशिक्षित है तो क्या क्र० सं० 13 में उल्लिखित व्यवसाय की जानकारी है। | .. |
| 15. | अवधि, जब से व्यवसाय को अपनाया है | .. |
| 16. | वर्तमान उपलब्ध औजारों की ब्यौरेवार स्थिति | .. |
| 17. | आवेदित औजारों का विवरण | .. |
| 18. | आश्रितों का विवरण, यदि कोई हो | .. |
| 19. | जहां व्यवसाय चल रहा है/चलाया जाना है उस स्थान की संस्थिति | .. |
| 20. | कोई अन्य सूचना | .. |

हस्ताक्षर

पूरे पते सहित।

टिप्पणी.—आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ मैजिस्ट्रेट से प्राप्त निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

1. जाति प्रमाण-पत्र ।
2. हिमाचली होने का प्रमाण-पत्र ।
3. आय का प्रमाण-पत्र ।